

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गडरारोड़, जिला बाड़मेर,  
पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार-1

राजस्व वाद सं. 59/2025

अन्तर्गत धारा 88, 92 RT Act.

| वादीगण  | बनाम | प्रतिवादीगण   |
|---|------|---|
| 1. हिंदा राम पुत्र सालगा राम<br>2. ज्ञानचंद पुत्र सालगा राम<br>3. नारायणा राम पुत्र सालगा राम<br>4. मदन लाल पुत्र सालगा राम<br>5. राजेंद्र गज्जा पुत्र सालगा राम, जातियान्-<br>ब्राह्मण, निवासीयान्-आसाडी, तह0 गडरारोड़ |      | 1. राजस्थान राज्य जरिये तह0 गडरारोड़,<br>जिला बाड़मेर<br>2. आनंद पुत्र मोहनलाल<br>3. पुष्पा देवी पत्नी मोहनलाल<br>4. भरत चंद पुत्र मोहनलाल<br>5. ओमप्रकाश पुत्र चानणा<br>6. जमना लाल पुत्र चानणा<br>8. कमला देवी पत्नी बस्तीराम<br>9. राम चंद्र पुत्र बस्तीराम<br>10. श्यामसुंदर पुत्र बस्तीराम<br>11. छगनलाल पुत्र किस्तूरचंद<br>12. लखाराम पुत्र किस्तूरचंद<br>13. जितेन्द्र पुत्र भंवरलाल<br>14. महेन्द्र पुत्र भंवरलाल<br>15. माला देवी पत्नी भंवरलाल<br>16. जीतू पुत्र नंदलाल<br>17. टीकु पुत्र नंदलाल<br>18. दमयन्ति पत्नी नंदलाल<br>19. मनीष पुत्र नंदलाल<br>20. मनोहर पुत्र नंदलाल<br>21. राधेश्याम पुत्र जसराज<br>22. लालचंद पुत्र जसराज<br>23. सत्यनारायण पुत्र जसराज<br>24. देवेन्द्र पुत्र बागाराम<br>25. पदम पुत्र बागाराम के कायम मुकाम :-<br>25/1. नवीन पुत्र पदम<br>25/2. युगतम पुत्र पदम<br>25/3. सारधना पत्नी पदम<br>26. सवाईलाल पुत्र बागाराम<br>27. सावित्रीदेवी पत्नी बागाराम<br>28. प्रेमराम पुत्र गुलाराम<br>29. सुजाराम पुत्र गुलाराम<br>30. राधाकिशन पुत्र हमीराराम<br>31. शिवलाल पुत्र हमीराराम<br>32. हुकमा पुत्र हमीराराम<br>33. रामेश्वरलाल पुत्र देवीलाल<br>34. सुआ देवी पत्नी देवीलाल<br>35. शंकरलाल पुत्र बाबूलाल<br>जातियान्- ब्राह्मण, नि0 आसाडी, तह0<br>गडरारोड़ |



उपस्थित :- 1. श्री कंवराज बैनिवाल अधिवक्ता वादीगण

2. श्री भोपालसिंह भाटी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2

32  
सहायक कलक्टर  
गडरारोड़

निर्णय

दिनांक :-06.01.2025



वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 35 की पैतृक एवं संयुक्त खातेदारी के खेत तहसील-गडरारोड़ में अवस्थित खसरा नम्बर 241, 226,

558 रकबा कमशः 27.8666, 6.1431, 4.0792 हैक्टैयर, मौजा-आसाडी, पटवार मण्डल-आसाडी, खसरा नम्बर 234, 187, 233 रकबा कमशः 3.9578, 15.3780, 7.7538 हैक्टैयर, वाके मौजा-कुण्डल उर्फ गोधनली, पटवार मण्डल-बन्धडा, खसरा नम्बर 128 रकबा 4.5972 हैक्टैयर वाके मौजा-उनरोड़, पटवार मण्डल-झणकली में आये हुए है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता सालगा राम का देहांत वादीगण के दादा हडवंताराम के देहांत से पूर्व हो गया होने से वादीगण को उक्त वादग्रस्त आराजी विरासत में सीधे अपने दादा हडवंताराम के फौत होने पर जरिये फोतगी नामान्तरकरण से प्राप्त हुई है। वादीगण के दादा स्व. हडवंताराम की फोतगी पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 695 दिनांक 25.01.1983 मौजा-गिराब, तह0 शिव, नामान्तरकरण संख्या 141 दिनांक 22.01.1983 मौजा-कुण्डलउर्फ गोधनली, तह0 शिव, नामान्तरकरण संख्या 132 दिनांक 09.02.1983 मौजा-उनरोड़, तह0 शिव से प्राप्त हुई तथा खेत खसरा नम्बर 234 रकबा 3.9578 हैक्टैयर वाके मौजा-कुण्डल उर्फ गोधनली, पटवार मण्डल-बन्धडा में अवस्थित भूमि वादीगण को अपने पिता स्व. सालगा राम के फौत होने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 142 दिनांक 22.01.1983 मौजा-कुण्डल उर्फ गोधनली, तह0 शिव से प्राप्त हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण के दादा स्व. हडवंताराम व वादीगण के पिता स्व. सालगा राम के फोतगी नामान्तरकरण पारित करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगण के आम बोलचाल के घरेलू नाम कमशः हिन्दा, गेना, नारणा/नारायणा, मदन, मनसुख पिसरान सालगा का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में कर दिया गया। उक्त नामान्तरकरण खोलेते समय वादीगण स्वयं नाबालिग थे, जो उक्त नामान्तरकरण का महत्व नहीं जानते थे। उक्त विरासत के नामान्तरकरण वादीगण के रिश्तेदारों द्वारा खुलवाये जाने के कारण वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम कमशः हिन्दा, गेना, नारणा/नारायण, मदन, मनसुख पिसरान सालगा दर्ज कर दिया गया। जबकि वादीगण के जैसीही नाम कमशः हिंदा राम, ज्ञानचंद, नारायण राम, मदन लाल, राजेन्द्र गज्जा पिसरान सालगा राम है। वादीगण के अन्य आवश्यक दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड, पेनकार्ड, बैंक डायरी इत्यादि में वादीगण के सही नाम कमशः हिंदा राम, ज्ञानचंद, नारायणा राम, मदन लाल, राजेन्द्र गज्जा पिसरान सालगा राम दर्ज है। वादीगण अपने नाम की एकरूपता रखने के लिए वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्टि हिन्दा, गेना, नारणा/नारायणा, मदन, मनसुख पिसरान सालगा के स्थान पर सही नाम हिंदा राम, ज्ञानचंद, नारायणा राम, मदन लाल, राजेन्द्र गज्जा पिसरान सालगा राम की घोषणा करवाने के अधिकारी होने से यह वाद घोषणा का प्रस्तुत किया जा रहा है।

वाद पंजीयन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 35 को जरिये रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजे गये। प्रतिवादी संख्या 2,3, 5 से 35 बाद सूचना के अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 4 की और से वकील श्री भगवानसिंह भाटी द्वारा वकालात नाम पेश किया साथ ही जवाब प्रस्तुत कर वादीगण राजस्व वाद मे वर्णित वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड मे अन्य समस्त प्रविष्टियां यथावत् रखते हुए वादीगण का नाम हिन्दा, गेना, नारणा/नारायणा, मदन, मनसुख पिसरान सालगा के स्थान पर सही नाम हिंदा राम, ज्ञानचंद, नारायणा राम, मदन लाल, राजेन्द्र गज्जा पिसरान सालगा राम होना घोषित किये जाने मे अपनी सहमती व्यक्त की है।

वादीगण की और से वाद कथन के समर्थन में पी.डब्लू-1 हिंदा राम, पी.डब्लू-2 ज्ञानचंद, पी.डब्लू-3 नारायणा राम, पी.डब्लू-4 मदन लाल, पी.डब्लू-5 राजेन्द्र गज्जा के बयान शपथ - पत्र प्रस्तुत हुऐ एवं दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी, वादीगण के दादा स्व. हडवंताराम की फोतगी पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 695 दिनांक 25.01.1983 मौजा-गिराब, तह0 शिव, नामान्तरकरण संख्या 141 दिनांक 22.

01.1983 मौजा-कुण्डलउर्फ गोधनली, तह0 शिव, नामान्तरण संख्या 132 दिनांक 09.02.1983 मौजा-उनरोड़, तह0 शिव से प्राप्त हुई तथा खेत खसरा नम्बर 234 रकबा 3.9578 हैक्टैयर वाके मौजा-कुण्डल उर्फ गोधनली, पटवार मण्डल-बन्धडा में अवस्थित भूमि वादीगण को अपने पिता स्व. सालगा राम के फौत होने पर जरिये नामान्तरण संख्या 142 दिनांक 22.01.1983 मौजा-कुण्डल उर्फ गोधनली, तह0 शिव वादीगण का आधार कार्ड, राशन कार्ड अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये।

दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि नामान्तरण प्रक्रिया के दौरान लिपिकीय त्रुटि से वादीगण का नाम हिन्दा, गेना, नारणा/नारायणा, मदन, मनसुख पिसरान सालगा के स्थान पर सही नाम हिंदा राम, ज्ञानचंद, नारायणा राम, मदन लाल, राजेंद्र गज्जा पिसरान सालगा राम दर्ज किये जाने से राजस्व रेकर्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हुई और इस वजह से वादीगण अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो रही है। अतः वादीगण वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपना वास्तविक नाम हिंदा राम, ज्ञानचंद, नारायणा राम, मदन लाल, राजेंद्र गज्जा पिसरान सालगा राम दर्ज करवाने की अधिकारी हैं। वादीगण का हिस्सा बैंक में रहन नहीं होने से वादीगण की अनुतोष स्वीकृति से बैंक के हितों पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रतिवादी संख्या 2 के वकील ने अपनी बहस में वादीगण वकील की बहस में उल्लेखित तथ्यों से सहमति व्यक्त करते हुए वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम हिन्दा, गेना, नारणा/नारायणा, मदन, मनसुख पिसरान सालगा के स्थान पर सही नाम हिंदा राम, ज्ञानचंद, नारायणा राम, मदन लाल, राजेंद्र गज्जा पिसरान सालगा राम घोषित किया जाना उचित बताया है।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध गवाह के शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपने अन्य समस्त दस्तावेजात में उसका नाम हिंदा राम, ज्ञानचंद, नारायणा राम, मदन लाल, राजेंद्र गज्जा पिसरान सालगा राम दर्ज है। किन्तु वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में उसका नाम भूलवश हिंदा राम, ज्ञानचंद, नारायणा राम, मदन लाल, राजेंद्र गज्जा पिसरान सालगा राम के स्थान पर हिन्दा, गेना, नारणा/नारायणा, मदन, मनसुख पिसरान सालगा दर्ज होना पाया जाता है। लिपिकीय त्रुटि से नामान्तरण संख्या 695 दिनांक 25.01.1983 मौजा-गिराब, तह0 शिव, नामान्तरण संख्या 141 दिनांक 22.01.1983 मौजा-कुण्डलउर्फ गोधनली, तह0 शिव, नामान्तरण संख्या 132 दिनांक 09.02.1983 मौजा-उनरोड़, तह0 शिव से प्राप्त हुई तथा खेत खसरा नम्बर 234 रकबा 3.9578 हैक्टैयर वाके मौजा-कुण्डल उर्फ गोधनली, पटवार मण्डल-बन्धडा में अवस्थित भूमि वादीगण को अपने पिता स्व. सालगा राम के फौत होने पर जरिये नामान्तरण संख्या 142 दिनांक 22.01.1983 मौजा-कुण्डल उर्फ गोधनली, तह0 शिव में भूलवश उसका नाम हिन्दा, गेना, नारणा/नारायणा, मदन, मनसुख पिसरान सालगा दर्ज होना साबित है। मौखिक साक्ष्य स्वरूप गवाह वादीगण स्वयं के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों में वादीगण का वास्तविक नाम हिंदा राम, ज्ञानचंद, नारायणा राम, मदन लाल, राजेंद्र गज्जा पिसरान सालगा राम होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज नाम हिन्दा, गेना, नारणा/नारायणा, मदन, मनसुख पिसरान सालगा के स्थान पर सही नाम हिंदा राम, ज्ञानचंद, नारायणा राम, मदन लाल, राजेंद्र गज्जा पिसरान सालगा राम दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।


  
सहायक कलेक्टर  
बडरोड़

विभागात वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तल्लू मद्रासरोड में अवस्थित खसरा नम्बर 241, 220, 168 एकका कुलका 27.88000, 6.1421, 4.0792 हेक्टेयर, वाकें बीजा-आसाडी, पाटवार मण्डल-आसाडी, खसरा नम्बर 234, 187, 233 एकका कुलका 3.8072, 15.2790, 7.7528 हेक्टेयर, वाकें बीजा-कुण्डल उर्फ मोहनली, पाटवार मण्डल-बनवाडा, खसरा नम्बर 128 एकका 4.8072 हेक्टेयर वाकें बीजा-उन्नरोड, पाटवार मण्डल-झणकली तल्लू मद्रासरोड की भूमि में राजस्व रिकार्ड की शेष प्रविष्टियां सम्भवतः एकले हुए वादीगण का नाम हिन्दा, बीमा, नारणा/नारायणा, मदन, मनसुख विद्यमान साजना के स्थान पर सही नाम हिन्दा राम, छानचंद, नारायणा राम, मदन लाल, राजेंद्र मजजा विद्यमान साजना राम हीन घोषित किया जात है। तदनुसार मद्रासरोड की इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरमम सुधारित करने के आदेश दिने जाते हैं। तदनुसार किसी कर्षी जायी शी।



  
सहायक (सहायक/आसाडी/जी)  
मद्रासरोड, विभागाधिकारी

दिनांक आज दिनांक 06.01.2020 को सरे इजलास सुनवा गया।  
मद्रासरोड बीसल सुनार होकर दखिल रकमल हो।

  
सहायक (सहायक/आसाडी/जी)  
मद्रासरोड, विभागाधिकारी